कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईपास रोड, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिया नं0–6 के समीप)

पत्रांक : 138609/म0नि0नि0/2024–25 दिनांक : 21 दिसम्बर, 2024

उप निबंधक
किच्छा।

विषय :– अमृतसर–कोलकाता–इण्डस्ट्रियल कॉरीडर (AKIC) परियोजना विषयक निर्गत अधिसूचना के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 262317/XXVII(9)/स्टा0/यू0ओ0–06/2024/ई0–78999 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा निर्गत अधिसूचना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अमृतसर–कोलकाता–इण्डस्ट्रियल कॉरीडर (AKIC) परियोजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर में प्राग–खुरपिया फार्म में समेकित निर्माण समूह (IMC) की स्थापना हेतु आरक्षित लगभग 1002.15 एकड़ भूमि, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम से गठित को हस्तांतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की गयी है।

अतः शासन की उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोक्त।

Signed by
Atul Kumar Sharma
Date: 21-12-2024 17:32:46
(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक व संख्या उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
2. उप महानिरीक्षक निबंधन, कुमाऊँ मण्डल।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/जिला निबंधक, ऊधमसिंहनगर।
4. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, ऊधमसिंहनगर।
5. कार्यालय प्रति।

Signed by
Ram Dutta Mishra
Date: 21-12-2024 17:33:22
(रामदत्त मिश्र)
उप निबंधक, मुख्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या–262317/2024/XXVII(9)/स्टा0/यू0ओ0–06/2024/ई0–78999

देहरादूनः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (समय–समय पर यथासंशोधित) सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 02 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कोलकाता–इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (AKIC) परियोजना के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर में प्राग–खुरपिया फार्म में समेकित निर्माण समूह (IMC) की स्थापना हेतु आरक्षित लगभग 1002.15 एकड़ भूमि, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम से गठित NICDC Uttarakhand Industrial Township Ltd (NUITL) (SPV) को हस्तांतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Signed by
Dilip Jawalkar
(दिलीप जावलकर)
Date: 18-12-2024 21:00:00
सचिव।

सं0 262317 /2024/XXVII(9)/स्टाम्प–यू0ओ0–06/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. - निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. - सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
5. - महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
6. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
7. - मण्डलायुक्त, कुमायूं, उत्तराखण्ड।
8. - महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. - जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
10. - उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित करते हुए उसकी 200 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by
Ravi [illegible]
([illegible])
Date: 20-12-2024 17:30:28
[illegible]

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.262317 /XXVII(9)/2024/Stamp-80/2009 dated, 18 December, 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 262317/2024/XXVII(9)/Stamp/U.O/06/2024 E-78999
Dehradun: dated: 18 December, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act 10 of 1897) read with clause of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) , the Governor is pleased to exempt the stamp duty chargeable on transfer of about 1002.15 acres of land reserved for establishing Integrated Construction Cluster (IMC) at Prag-Khurpiya Farm in District Udham Singh Nagar under Amritsar-Kolkata-Industrial Corridor (AKIC) Project to NICDC Uttarakhand Industrial Township Ltd (NUITL) (SPV), a joint venture of Government of India and State Government of Uttarakhand.

2- The said notification shall come into effect with immediate effect.

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 18-12-2024 20:58:33

(Dilip Jawalkar)
Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या – 262315/2024 / XXVII(9) / स्टा0 / यू0ओ0–06 / 2024 / ई0–78900
देहरादूनः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (समय–समय पर यथासंशोधित) सपठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) की धारा 78–का के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कोलकाता–इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (AKIC) परियोजना के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर में प्राग–खुरपिया फार्म में समेकित निर्माण समूह (IMC) की स्थापना हेतु आरक्षित लगभग 1002.15 एकड़ भूमि, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम से गठित NICDC Uttarakhand Industrial Township Ltd (NUITL) (SPV) को हस्तांतरण पर प्रभार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Signed by
Dilip Jawalkar
(दिलीप जावलकर)
Date: 18-12-2024 20:57:13
सचिव।

संo 262315 / 2024 / XXVII(9) / स्टाम्प / यू0ओ0–06 / 2024 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. - निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. - सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
5. - महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
6. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
7. - मण्डलायुक्त, कुमायूं, उत्तराखण्ड।
8. - महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. - जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
10. - उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित करते हुए उसकी 200 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by
C Ravi Shankar
(रवि शंकर)
Date: 20-12-2024 17:29:47
अपर सचिव।

File No. FIN9-SR/M/19/2024-XXVII-9-Finance Department (Computer No. 78999)
Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO AC FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 20/12/2024 05:44 PM

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 262315 /XXVII(9)/2024/Stamp-80/2009 dated 18, December, 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 262315/2024/XXVII(9)/Stamp/U.O/06/2024 E-78999
Dehradun: dated: 18 December, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act 10 of 1897) read with Section 78-A of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) as amended and adapted in the State of Uttarakhand, the Governor is pleased to exempt the registration fees chargeable on transfer of about 1002.15 acres of land reserved for establishing Integrated Construction Cluster (IMC) at Prag-Khurpiya Farm in District Udham Singh Nagar under Amritsar-Kolkata-Industrial Corridor (AKIC) Project to NICDC Uttarakhand Industrial Township Ltd (NUITL) (SPV), a joint venture of Government of India and State Government of Uttarakhand.

2- The said notification shall come into effect with immediate effect.

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 18-12-2024 20:55:47

(Dilip Jawalkar)
Secretary.